INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0JB3 367336

बैनामा

बिक्री — 4,50,000/-
स्टाम्प — 1,32,000/-
रजि. खर्च — 45,100/-

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. जनपद व तहसील — [illegible]
3. ग्राम — [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण — खसरा नं. [illegible] कुल रकबा 0.456 हे. में से कुल [illegible] का 0.225000
5. गवाह की हैसियत — विक्रेता
6. संबंधित का हैसियत — कुल 0.225000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

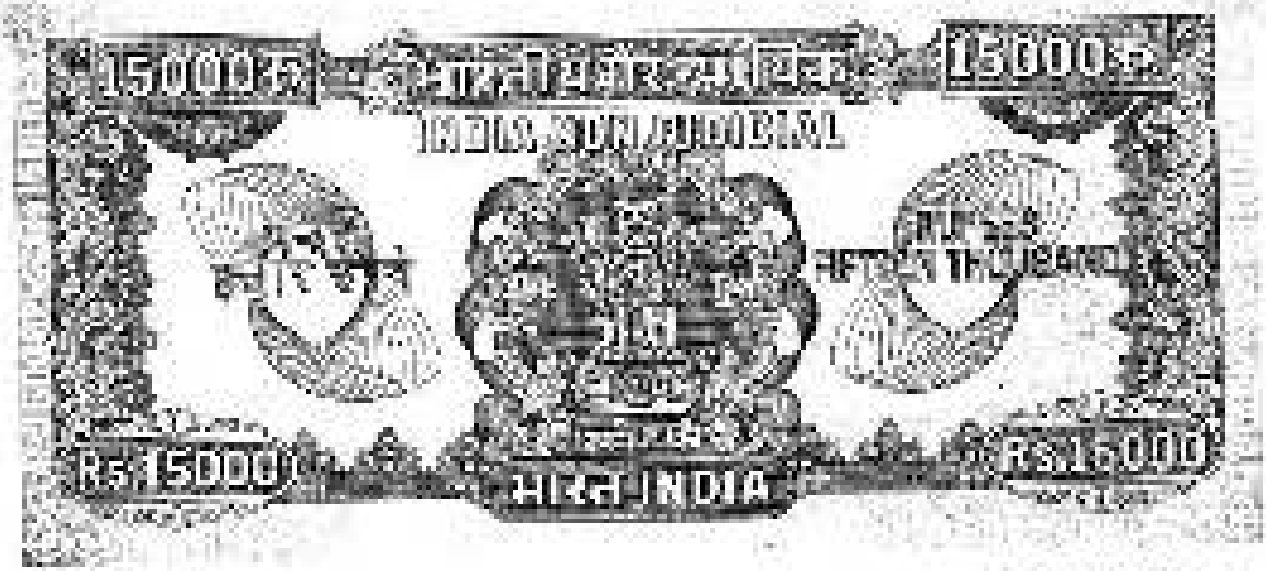

0088 567777

2

7. सड़क की स्थिति	:	सुल्तानपुर रोड से ग्राम सहित ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर
8. प्रतिफल की धनराशि	:	4,50,000/-
9. पेड़ों की संख्या		अंकित नहीं है।
10. बोरिंग/नलकूप	:	बोरिंग/नलकूप नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं0 151

पूरब	—	खसरा नं0 156 व 157
पश्चिम	—	खसरा नं0 152
उत्तर	—	खसरा नं0 155
दक्षिण	—	खसरा नं0 150

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

प्रथम पक्ष की संख्या —01
विक्रेता का विवरण

श्रीमती रतनदेवी
पत्नी श्री [illegible]
निवासी—[illegible]
पक्ष—विक्रेता
[illegible]

द्वितीय पक्ष की संख्या —01
क्रेता का विवरण

[illegible]
पुत्र — [illegible]
निवासी — [illegible]
[illegible]
[illegible]

विक्रय—पत्र

[illegible] विक्रेता श्रीमती [illegible] पत्नी — [illegible], निवासी [illegible] पक्ष विक्रेता [illegible] पिता— [illegible] [illegible] [illegible] कुल रकबा 0.4356 हे० में से कुल विक्रीत रकबा 0.2250 हे० [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

र प्रदेश UTTAR PRADESH

4

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और अगर किसी व्यक्ति की मालेवारी की या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी ने विक्रेता का कुछ कुल मान किया उत्तराधिकार के कब्जे से किसी भी तरह बेदखल या कब्जा न मिले , विक्रेताओं या उनके किसी प्रकार की कमी न पाई जाने पर या अन्य किसी प्रकार से उनके भूमि के आधार विक्रेता को कब्जा न प्राप्त होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल कब्जा पर कर्ता अर्थ व तुरन्त राशि पूरा न मिले कठिनाई व अन्य गुणवत्ता की अन्य धन न अन्य धनराशि से क्षतिपूर्ति हेतु कुल कर लेंगे। विक्रेता को कोई नुकसान देय का न होगा। क्रीत भूमि प्राप्त की मालेवा से क्रेता उनको को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त क्रीत भूमि को कमल राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कर लेंगे विक्रेता का कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रेय भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग अन्तर्गत नहीं। विक्रेता का किया नहीं है। विक्रेय भूमि मुख्य मार्ग मुख्यालय तक व ऊपर वर्णित ग्राम से लगभग अधिक से अधिक दूरी पर स्थित है। क्रीत भूमि में कोई पेड़ कुआ या इमारत आदि नहीं है। इस भूमि पर मुकदमा/मुकदमा नहीं है। विक्रेय भूमि ग्राम पंचायत बाद फर्द में बाद मोहन लाल नगर जिला अलवर से स्थित है। जो कि सभी विवाद मुक्त है। क्रीत भूमि का मूल्य रु 2,2200 रु है जोकि सरकार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी निर्धारित दर के बाजार मूल्य रु 4,20,000/-रु- प्रति बीघा की दर से निर्धारित है। के लिहाज से विक्रेय भूमि की मूल्य बाजार मालियत 422,000 है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 979356

[illegible]

[illegible]

विवरण भूमि विक्रीशुदा

आराजी खसरा [illegible] कुल रकबा [illegible] है० से कुल विक्रीत रकबा [illegible] है० स्थित ग्राम [illegible] परगना व तहसील – [illegible] जनपद [illegible]

रामशील बसुलाबाई उदासनः

मुझे निर्वाह शुल्क अंकन 4,20,200/- [illegible] फार्म [illegible] प्रस्तुत पत्रावली [illegible] के [illegible] में [illegible] 25577M दिनांकित 22/09/10 पंजीयन [illegible] [illegible] लाभ प्राप्त करने [illegible]
अब कोई भी दावा दावी निर्वाह [illegible] के सम्बन्धित [illegible] नहीं है।
[illegible]

दिनांक : [illegible]

[illegible]

निर्वाह की गणना के लिए
गवाह :
[illegible]

लेन की गणना के लिए
गवाह : [illegible]
S/o- [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
(श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव)
[illegible]

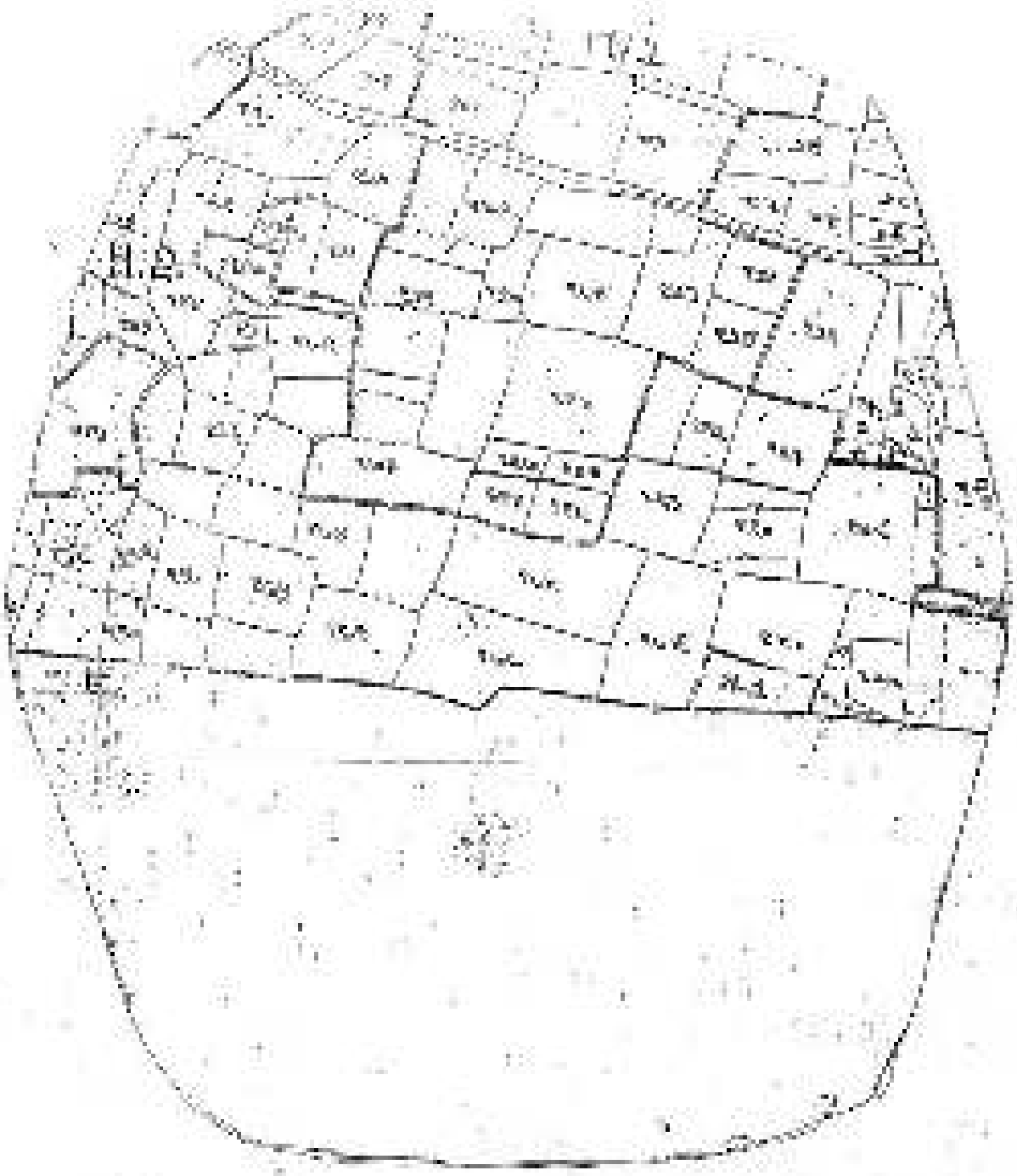

निबंधन अधिनियम- 1908 की धारा 32- ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता .....

.....

बायें हाथ की अंगुलियों के निशान :-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/क्रेता का नाम व पता .....

.....

दायें हाथ के अंगुलियों के निशान :-

बायें हाथ के अंगुलियों के निशान :-

क्रेता के हस्ताक्षर